Prospectus

विवरणिका

सत्र 2023—24

अनुक्रमणिका-

1.परिचय– महाविद्यालय
2.महाविद्यालय परिवार
3.संचालित पाठ्यक्रम
4.वर्ष 2023–24 हेतु प्रवेश नीति
5.छात्रवृत्तियां
6.अनुशासन संबंधी नियमावली
7.महाविद्यालय विकास समिति
8.अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियां

महाविद्यालय का परिचयः—

सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखण्ड में अवस्थित इस सहशिक्षा राजकीय महाविद्यालय की स्थापना सत्र 2019—20 में हुई। वर्तमान में यह महाविद्यालय श्री रघुनाथ सीनियर सैकण्डरी स्कूल के भवन (पश्चिमी विंग) में, कला संकाय में सुचारू रूप से संचालित है। यह महाविद्यालय सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर, नवलगढ़ से 22 किलोमीटर, फतेहपुर से 25 किलोमीटर व सालासर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं इन सभी स्थानों से सड़क मार्ग से जुड़ा है। महाविद्यालय रोडवेज बस डिपो से 3 किलोमीटर एवं रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर से सम्बद्ध इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययन हेतु सात विषय उपलब्ध है। सत्र 2023—24 में महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत हो गया है। वर्तमान में महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी विषय संचालित है। महाविद्यालय में शिक्षण कार्य के साथ—साथ विभिन्न पाठ्य सहगामी गतिविधियां भी आयोजित होती रहती है।

महाविद्यालय परिवारः— राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़,सीकर राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति युक्त महाविद्यालय है,जहां पर पूर्णतया राज्य सरकार वित्त पोषित आचार्य, सह—आचार्य एवं सहायक आचार्य के पद है, जिनमें शासकीय नियमों के अनुसार योग्यताधारी अध्यापक कार्यरत है। महाविद्यालय कार्यालय में नियमित प्रशासकीय कार्य पूर्ण करने हेतु राज्य वित्त पोषित पदों पर कनिष्ठ सहायक एवं सहायक लेखाधिकारी कार्यरत है।

महाविद्यालय परिवार

शैक्षणिक स्टाफ–

कार्यवाहक प्राचार्य– कमल महला

मो.न.– 9667125777

- समाजशास्त्र विभाग

1. सहायक आचार्य कमल महला
   मो.न.–9667125777

- भूगोल विभाग

1. डॉ. दीपेन्द्र सैनी
   मो.न.–7300422718

- राजनीति विज्ञान विभाग

1. सहायक आचार्य राकेश कुमार
   मो.न.–8769462476

- हिन्दी विभाग

1. सहायक आचार्य जगदीश प्रसाद
   मो.न.–9667633520

- इतिहास विभाग

1. सहायक आचार्य श्रवण कुमार खीचड़
   मो.न.–9166432150

- अंग्रेजी विभाग

1. सहायक आचार्य गरिमा शेखावत
   मो.न.–7689924329

अशैक्षणिक स्टाफ–

क्र. सं.	नाम	पद
1.	श्री रमाकान्त मिश्रा	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम
2.	श्री गिरधारी लाल शर्मा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
3.	श्रीमती रश्मि चौधरी	कनिष्ठ सहायक
4.	सुश्री गुरुप्यारी	प्रयोगशाला सहायक

संचालित पाठ्यक्रम-

1. स्नातक स्तर (कला संकाय)

अनिवार्य विषयः–

1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. पर्यावरण अध्ययन 4. कम्प्यूटर शिक्षा

वैकल्पिक विषयः–

1. हिन्दी साहित्य 2. अंग्रेजी साहित्य 3. उर्दू साहित्य 4. समाजशास्त्र 5. इतिहास

6. राजनीति विज्ञान 7. भूगोल

विषय संयोजन व्यवस्था–

1.हिन्दी साहित्य ,उर्दू साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य में से कोई एक

2.राजनीति विज्ञान एवं भूगोल में से कोई एक

3.समाजशास्त्र एवं इतिहास में से कोई एक

2. स्नातकोत्तर स्तर (कला संकाय)

1. हिन्दी साहित्य

नोट–

1. महाविद्यालय मे ंबी.ए. प्रथम वर्ष में 02 सेक्शन स्वीकृत हैं।
2. विषय आवंटन मेरिट के अनुसार एवं उपलब्ध सीटों पर ही किया जाएगा। विषय परिवर्तन की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन अस्वीकार्य होंगें। विषय परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदन पर महाविद्यालय द्वारा निर्मित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियां

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) –स्वीकृत यूनिट संख्या 1(100 स्वयं सेवक)
कार्यक्रम अधिकारी – राकेश कुमार ,सहायक आचार्य– राजनीति विज्ञान

वर्ष 2023–24 हेतु प्रवेश नीति एवं समितियाँ–

स्नातक–

1. स.आ. श्रवण कुमार खीचड़– नोडल अधिकारी मोबाइल न.–9166432150
2. डॉ. दीपेन्द्र सैनी,स.आ. – संयोजक
3. स.आ. राकेश कुमार– प्रभारी
4. स.आ. जगदीश प्रसाद– सदस्य

स्नातकोत्तर–(हिन्दी साहित्य)

1. स.आ. गरिमा शेखावत –अंग्रेजी नोडल अधिकारी मो.न.–7689924329
2. डॉ. दीपेन्द्र सैनी,स.आ. – संयोजक
3. स.आ. जगदीश प्रसाद– प्रभारी

महाविद्यालय हेल्प डेस्क– 01573–294077

(पूछताछ हेतु इस नम्बर पर फोन करें।)

छात्रवृत्तियाँ

राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित छात्र–छात्राओं को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्तियाँ नियमानुसार प्रदान की जाती है। मुख्य रूप से छात्रवृत्तियाँ देय है–

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत से अधिक अंक एवं नियमानुसार सभी वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु)
2. समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग के नियमानुसार)
3. कालीबाई भील स्कूटी योजना (65 प्रतिशत से अधिक अंक एवं राज्य सरकार के नियमानुसार)
4. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा देय छात्रवृत्ति (भारत सरकार के नियमानुसार)

   विशेषः– उपर्युक्त सभी छात्रवृत्तियों के आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाईन है एवं पेपर लेस है। महाविद्यालय कार्यालय के द्वारा छात्रवृत्तियों के संबंध में सूचना पट्ट एवं वेब पेज पर सूचना प्रदान की जायेगी। सुचारू रूप से आवेदन करना तथा आक्षेप की स्थिति में आवेदन पत्र को पुनः सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी छात्र की स्वयं की होगी। इस संबंध में दूरभाष पर किसी प्रकार का मार्गदर्शन या आक्षेप निस्तारण नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी स्वयं छात्रवृत्ति प्रभारी से महाविद्यालय समय सारणी अनुसार व्यक्तिशः मिलकर परामर्श प्राप्त करेगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगें।

अनुशासन संबंधी नियमावली

1. राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़, राजकीय नियमानुसार रेगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित व्यवहार की श्रेणी में रखता है तथा इस तरह की किसी भी गतिविधि में सम्मिलित विद्यार्थी पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. महाविद्यालय में कक्षा–कक्ष शिक्षण के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करना पूर्णतया वर्जित है।
3. महाविद्यालय में निर्धारित किये गये मोबाइल फोन वर्जित क्षेत्रों में भी मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
4. महाविद्यालय में सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उनकी पोशाक मर्यादा अनुकूल हो एवं स्वच्छता युक्त (साफ–सुथरी) हो।
5. महाविद्यालय के विद्यार्थी कोविड–19 संबंधी गाईड लाईन का पूर्णतया पालन करेंगें जिसमें मास्क पहनना एवं आवश्यक दूरी बनाते हुए रहना प्रमुख है।
6. महाविद्यालय के विद्यार्थी महाविद्यालय कर्मचारी एवं शिक्षक स्टाफ के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करेंगें तथा राजकीय काम–काज में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगें।
7. किसी भी प्रकार का ज्ञापन, मांग पत्र या शिष्ट मण्डल की प्राचार्य कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश वर्जित होगा तथा अधिकतम केवल दो विद्यार्थी ही अनुमति प्राप्त कर कोविड–19 की गाईड लाईन की पालना करते हुए प्राचार्य महोदय से अनुग्रह भेंट कर पाऐंगें।
8. महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य अनुमति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार की संगोष्ठी, कार्यक्रम एवं प्रदर्शन आदि नहीं किया जा सकता है। कोविड–19 गाईड लाईन की पालना के तहत महाविद्यालय परिसर में किसी प्रकार के धरने, प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
9. महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी अन्य महाविद्यालय के छात्र–छात्रा को महाविद्यालय की किसी नियमित गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं किसी प्रकार के धरने, प्रदर्शन या इस प्रकार की अन्य गतिविधि में भाग लेने की अनुमति महाविद्यालय परिसर के अन्तर्गत नहीं होगी।

10. महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी अपने परिचय पत्र को आवश्यक रूप से अपने साथ रखेंगें तथा महाविद्यालय के कर्मचारी या अध्यापक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगें।
11. महाविद्यालय के विद्यार्थी महाविद्यालय के कार्यालय में स्वयं से संबंधित किसी भी आवश्यक दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए स्वयं उपस्थित होंगें। विद्यार्थी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज परिवारजन या मित्रजन को नहीं दिया जा सकता है।
12. महाविद्यालय परिसर में तम्बाकू निर्मित उत्पाद का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन पूर्णतया वर्जित रहेगा।
13. महाविद्यालय के विद्यार्थियों को वाहन पार्किंग संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. उपर्युक्त में से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता में सलंग्न पाये जाने पर महाविद्यालय अनुशासन समिति की अनुशंसा उपरान्त आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।